गुरू रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना , 2010–2011

1. **शीर्षक :–**

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में वातावरण सुधार हेतु चलाई जाने वाली यह योजना गुरू रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना 2010–2011 कहलायेगी।

2. **विस्तार तथा प्रारम्भः–**

यह योजना सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से गैर–जनजातीय जिला (65 विधान सभा क्षेत्र)हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है।

3. **उददेश्यः–**

गुरू रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना का मुख्य उददेश्य अनुसूचित जातियों की बस्तियों में वातावरण के सुधार के लिए विभिन्न कार्य निर्मित करवाने के लिए अनुदान प्रदान करना है।

4. **परिभाषाः–**

''कार्य'' से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिनके निर्माण हेतु प्राक्कलन एक लाख रू0 से अधिक का हो।

4.1 ''सरकार'' से तात्पर्य हिमाचल प्रदेश सरकार से है।

4.2 ''निदेशक'' से तात्पर्य निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग से है।

4.3 ''उपायुक्त'' से तात्पर्य सम्बन्धित जिला से है।

4.4 ''परियोजना अधिकारी, से तात्पर्य सम्बन्धित जिला के परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से है।

4.5 ''खण्ड विकास अधिकारी'', से तात्पर्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से है।

4.6 ''सक्षम प्राधिकारी''से तात्पर्य सम्बन्धित पंचायत के तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता या शहरी निकाय के कनिष्ठ अभियंता से है।

4.7 ''अनुबन्ध'' से तात्पर्य इस योजना के साथ संलग्न अनुबन्धों से है।

5. **पात्रताः–**

बहुल अनुसूचित जातियों की ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या कम से कम 50 हो जिनमें कम से कम 10 या 15 घर हों में वातावरण के सुधार हेतु बड़े कार्य जैसे बस्तियों के भीतर रास्तों तथा नालियों को पक्का करना, सामुदायिक भवन, स्नान गृह (स्त्री और पुरूष)सामुदायिक शौचालय/सामुदायिक मूत्र विर्सजन घर, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से सम्बन्धित कार्य, सौर ऊर्जा लाईट, सामुदायिक बगीचे, सामुदायिक खेल मैदान, सौलिड और लीविक्युड वेस्ट मैनेजमैंट, वर्मी कम्पोस्ट (एकल) पेयजल योजना का निर्माण जैसे कुआं/वाबड़ी/हैंड पम्प इत्यादि का निर्माण करवाने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय पात्र होगे।

6. **अनुदान राषिः—**

मु0 5.00 लाख रूपये तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बडे कार्यों के निर्माण हेतु तैयार प्राक्कलन के आधार पर।

6.1 वित्तीय वर्ष में गैर—जनजातीय जिला की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 5 या 6 या 7 वार्ड लिये जायेंगे और मु0 5.00 लाख रू0 या मु0 6.00 लाख रू0 या मु0 7.00 लाख रू0 व्यय किये जायेंगें।

7. **निष्पादन ऐजेंसीः—**

इस योजना के अन्तर्गत बड़े कार्यों का निष्पादन सम्बन्धित पंचायत, स्थानीय शहरी निकाय के क्रमशः तकनीकी सहायक/कनिष्ट अभियंन्ता की देखरेख में किया जाऐगा।

8. **कार्य योजनाः—**

योजना के अधिसूचित होने के छः माह के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड में बाहुल्य अनुसूचित जाति पंचायत/गांव /उप गांव तथा शहरी निकायों के वार्ड का सवेंक्षण /समन्वय करके निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार बड़े कार्यों को चिन्हित करके सूचियां तैयार करेंगे।उक्त बस्तियों में मनरेगा के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कार्य इस योजना में शामिल नहीं होंगे।

प्रथमः— बडे कार्यों का निर्माण उन अनुसूचित जातियों की बस्तियों में किया जाएगा जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो।

द्वितीयः— अनुसूचित जाति की ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या कम से कम 100 हो।

तृतीयः— अनुसूचित जाति की ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या कम से कम 70 से हो।

8.1 वित्तीय वर्ष के आरम्भ में सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उनके जिला को इस योजना के अन्तर्गत आंवटित बजट को विधान सभा बार अनुसूचित जाति की बहुल्य जनसंख्या के आधार पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से प्रस्ताव मांगे जायेंगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, बजट की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त प्राथमिकता सूचियों में से चिन्हित पंचायतों के प्रधान, सचिव/सहायक सचिवों से सर्म्पक करके पंचायत प्रस्ताव/कार्यों के प्राक्कलन तैयार करवायेंगे।

8.2 पंचायत प्रस्ताव में पारित बस्ती में रह रहें अनुसूचित जाति के लोगों की कुल जनसंख्या तथा घरों की संख्या स्पष्ट दी जायेगी तथा प्रस्तावित कार्य का पूर्ण औचित्य देते हुए दर्शाया जाये कि प्रस्तावित कार्य के लिए पहले किसी विभाग/स्रोत से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

8.3 प्रस्तावति बड़े कार्यों के प्राक्कनल तथा साईट प्लान प्राधिकारी से तैयार करवाना होगा। साईट प्लान में वर्तमान घरों की स्थिति दर्शाते हुए रास्ते तथा नालियों की लम्बाई, चौडाई, सैक्शन ऑफ पाथ/ड्रेन इत्यादि का

विवरण दिया जायेगा। प्राक्कनल सम्बन्धित पंचायत के तकनीकी सहायक तैयार करेंगे तथा ग्रामीण विकास विभाग के सहायक अभियंता/कनिष्ट अभियंता से तकनीकी रूप में अनुमोदित होने चाहिए।

8.4 बड़े कार्य की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में सम्बन्धित पंचायत को विभाग द्वारा स्वीकृत की जाएगी, जिसमें से पंचायत तकनीकी सहायक को बड़े कार्य के निर्माण के प्राक्कलन तैयार करने /कार्य की देखरेख करने तथा कार्य का आकलन करने हेतु सेवा शुल्क के रूप में अदा करेगी।

8.5 सम्बन्धित पंचायतों से प्राप्त प्रस्ताव को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता मौके पर जाकर साईट प्लान का मिलान करके अपनी पूर्ण रिर्पोट /सिफारिश सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

8.6 परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, के कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों की जांच करके यह सुनिश्चित किया जाऐगा कि समस्त प्रस्तावों में निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण हों तथा पूर्ण प्रस्तावों को अध्यक्ष जिला परिषद/कार्यकारणी के सम्मुख बजट की उपलब्धता के अनुसार अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **स्वीकृतिः—**

अध्यक्ष जिला परिषद/कार्यकारणी से अनुमोदित प्रस्तावों को प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित जिला के उपायुक्त सक्षम अधिकारी होंगे।

9.1 स्वीकृति आदेश में नियम व शर्तें दर्शाते हुए प्रति सम्बन्धित पंचायत/स्थानीय निकाय के अलावा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, जिला कोषाधिकारी, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी तथा स्वीकृति के आधार पर सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/खण्ड विकास अधिकारी राशि का आहरण सरकारी खजाने से करेंगे।

10. **अनुदान भुगतान की प्रक्रियाः—**

अनुदान राशि के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित पंचायत /शहरी निकाय के सचिव को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के साथ तीन रूपये के स्टामप पेपर पर एक अुनबन्ध निर्धारित प्रपत्र पर करना होगा। अनुबन्ध —ख

10.1 स्वीकृत राशि का भुगतान सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय के सचिव को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दो समान किश्तों में चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। भुगतान की जाने वाली राशि की रसीद सम्बन्धित पंचायत के सचिव को निर्धारित प्रपत्र—6 पर जारी करनी होगी।

10.2 प्रथम किश्त का भुगतान अनुबन्ध/ रसीद प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय को जारी की गई प्रथम किश्त की राशि का उपभोग प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तथा व्यय की गई राशि का विवरण बाउचर की दोहरी प्रतियों सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। सम्बन्धित विकास खण्ड के कनिष्ठ अभियंता निर्माण कार्य

का मौके पर जाकर निरीक्षण करके अपनी रिर्पोट पंचायत/शहरी निकाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों सहित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

10.3 सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त रिर्पोट के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित पंचायत के सचिव को द्वितीय किश्त चैक/ड्राफट के माध्यम से जारी करेंगे।

10.4 योजना के पूर्ण होने से सम्बन्धित रिर्पोट, द्वितीय किश्त की राशि का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तथा व्यय की गई का विवरण राशि व बाउचर की दोहरी प्रतियों सहित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्माण कार्य की आकलन रिर्पोट सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय के सचिव द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड के कनिष्ठ अभियंता को प्रस्तुत करेंगे। कनिष्ठ अभियंता निर्माण कार्य का मौका पर जाकर निरीक्षण करके कार्य के पूर्ण होने की रिर्पोट तथा पंचायत/शहरी निकाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को ऑडिट एवं कार्यालय रिर्काड हेतु प्रस्तुत करेंगे।

10.5 यदि सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय से निर्माण कार्य की रिर्पोट प्राप्त नहीं होती है तो समयावधि पूर्ण होने के एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत/शहरी निकाय को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी करेंगे। यदि नोटिस का उतर जारी होनी की तिथि कें एक सप्ताह के भीतर प्राप्त नही होता है तो खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत/शहरी निकाय के सचिव के विरूद्व पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही आरम्भ करेंगे।

10.6 स्वीकृत कार्यों का शत–प्रतिशत निरीक्षण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा किया जाएगा तथा पूर्ण हुये कार्यों का 25 प्रतिशत निरीक्षण, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कार्य पूर्ण होने एक वर्ष भीतर किया जाऐगा।

11. <u>कार्य पूर्ण करने की अवधिः–</u>

निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समयावधि प्रथम किश्त जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक होगी, जो विशेष परिस्थितियों में छः माह तक सम्बन्धित उपायुक्त की अनुमति से बढाई जा सकती है लेकिन कार्य पूर्ण करने के लिए संशोधित प्राक्कलन मान्य नहीं होंगा।

12. <u>अभिलेख का रख–रखावः–</u>

सम्बन्धित पंचायत/शहरी निकाय के सचिव का यह दायित्व होगा कि व योजना कार्यान्वयन पर हुए व्यय का पावतियां, मस्ट्रोल, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि का रख–रखाव करेंगे तथा आडिट के समय उन्हें लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त यह समस्त रिकार्ड विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

13. <u>योजना का अनुश्रवणः–</u>

सम्बन्धित परियोजना अधिकारी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का अनुश्रवण त्रैमास में एक बार अवश्य करेंगे तथा समय–2 पर सम्बन्धित पंचायत के साथ पत्राचार करके लम्बित कार्यो को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करवाना सुनिश्ति करेंगे, तथा योजना की मासिक/वार्षिक प्रगति रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध –ग पर निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल में प्रस्तुत करेंगे।

14. **लेखा शीर्ष :–**

अनुसूचित जातियों की बस्तियों में वातावरण के सुधार योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2225–अनुसूचित जाति/अन्य पिच्छड़ा वर्गों का कल्याण –01 अनुसूचित जाति का कल्याण –789–03 (सूस) (योजना के अन्तर्गत) अथवा सरकार द्वारा समय–समय पर महालेखाकार की सहमति से किये गए संशोधित लेखाशीर्ष में प्रावधित बजट में से किया जाऐगा।

15. **लेखों के ऑडिट :–**

योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का आडिट महालेखाकार (लेखा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा किया जाऐगा।

SMN-3/2009-10-RDD-
Government of Himachal Pradesh
Rural Development Department

From

The Director-cum- Special Secretary (RD)
to the Government of Himachal Pradesh.

To

The Project Officer,
DRDA, Chamba, Kinnaur and Lahual & Spiti.
Himachal Pradesh.

Dated : Shimla July, 2010

Subject :- Action taken note on Para No. 4 of the comptroller and Auditor General's Report No. 3 of 1999 concerning "Special Central Assistance (SCA) to Tribal Sub Plan (TSP).

Sir/Madam,

I am directed to refer to this department's letter of even number dated 18th March, 2010 and 26th May, 2010 vide which you were requested to furnish the year-wise information of ST families who have crossed the poverty line under Point No. 11 (b) of 20 Point Programme on the prescribed performa already supplied you. But same is still awaited from you.

You are therefore, once again requested to supply the information with in weeks time so that same could be sent to the Ministry of Tribal Affairs , Government of India.

This may be given Top Priority.

Yours faithfully,

Joint Secretary (RD)
to the Government of H.P.

Government of Himachal Pradesh
Rural Development Department

Please find enclosed herewith (in original) Joining report of Sh. Raja Ram Verma (Sr. Assistant) for further necessary action please.

SMS(A.H)
State Level Monitoring & Evaluation Cell
Rural Development Department
Himachal Pradesh, Shimla-9

Deputy Secretary,
Rural Development Department
Himachal Pradesh, Shimla-9

U.O. No. SMI-3/95-RDD-loose- Dated: Shimla-9 2nd July, 2010